

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1979/आषाढ़ 9, 1901

No. 212] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1979/ASADHA 9, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 1979

सुरोध-पत्र

सा. का. नि. 423 (अ).—भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) के पृष्ठ 461-462 पर प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 254 (अ) तारीख 19 मार्च, 1979 में,

(1) पृष्ठ 461 पर, पैरा 4 पर आयत्त में "पष्कृत" शब्द के स्थान पर "परिष्कृत" शब्द पढ़ें,

(2) पृष्ठ 463 पर पैरा 8 के उप पैरा (2) में "1.0 प्रतिशत" के स्थान पर "0.25 प्रतिशत" पढ़ें; और

(3) उप पैरा (3) में "9.10 एपॉक्सी" के स्थान पर "9, 10 एपॉक्सी" पढ़ें।

[सं. पी. 15011/23/78-पी. एच. (एच. और एन) पी. एफ. ए.]

टी. वी. एन्टोनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 30th June, 1979

CORRIGENDUM

C.S.R. 423 (E).—In the notification of the Government of India Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 254(E), dated the 19th March, 1979 published at pages 461 to 463 of the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i), at page 463, in item A. 10.07—

- (a) In the opening portion, third line, for the words, "Gaertn.f. (N-Dipterocarpaceae)", read "Gaertn.f. (N.O. Dipterocarpaceae)";
- (b) in entry (a) after "Butyro refractometer reading at 40°C", insert, "or";
- (c) in the entry (ii), for "1.0per cent" read "0.25 per cent by weight";
- (d) in the entry (iii), for "9.10 epoxy", read "9, 10 epoxy".

[No. P. 15011/23/78-PH(F&N)PFA]

T. V. ANTONY, Jt. Secy.